रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-600/2025/992/22-2-2025-17(174)/2015

लखनऊ:दिनांक: 26 जून, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अर्जुन सिंह (बन्दी सं0-27175) पुत्र श्री बद्दू उर्फ बदलू, जो अमीसा, थाना-आटा, जनपद-जालौन का निवासी है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-21/1982, भा0द0वि0 की धारा-302/149, 323/149, 148 के अन्तर्गत मा० सत्र न्यायाधीश, जालौन स्थान-उरई के दण्डादेश दिनांक 17-02-1987 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक-31-10-2014 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया, बन्दी द्वारा दिनांक-05-04-2025 तक अपरिहार 10 वर्ष, 03 माह, 15 दिन तथा सपरिहार 12 वर्ष, 02, माह 06 दिन की सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण, तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति किये जाने तथा दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो, तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, जालौन के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-600/2025/992(1)/22-2-2025-17(174)/2015तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- **पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।**
2- **जिला मजिस्ट्रेट, जालौन।**
3- **पुलिस अधीक्षक, जालौन।**
4- **वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।**
5- **निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।**
6- **निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।**
7- **कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।**
8- **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasana